

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

संयुक्तजिलाकार्यालय:: भू-तल, कक्ष क्रमांक जी3, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - actwsurajpur@gmail.com

क्रमांक / 2735 / आदि.वि. / मु.उ.शि.प्रो.छा.यो. / 2026

सूरजपुर, दिनांक

12/10/26

// सूचना पत्र //

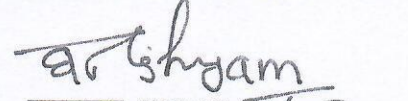
विषय:- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शिक्षण सत्र 2025-26 हेतु आवेदन करने बावत्

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावन निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थाओं जैसे IIT, AIIMS, IIM, NLU, MBBS, NIT, IIIT में चयन उपरान्त प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।

योजनांतर्गत पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 30/10/2026 तक पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय कलेक्टर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला सूरजपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला सूरजपुर से अथवा कलेक्टर जिला सूरजपुर के वेबसाईट <https://surajpur.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

—:पात्रता:—

1. विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिये।
3. विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होने चाहिये।
5. शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास

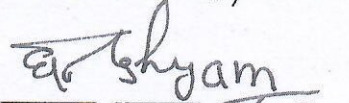
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 2736 / आदि.वि. / मु.उ.शि.प्रो.छा.यो. / 2026

सूरजपुर, दिनांक 12/10/26

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सहायक संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त सूचना पत्र को स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार 02 दिनों तक निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)



आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2026-27 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
 जिला
 छ.ग.

वर्तमान रंगीन
 पासपोर्ट साईज
 स्वयं का फोटो
 चस्पा कर
 स्वप्रमाणित करें।

विषय:- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना हेतु वर्ष 2026-27 में
 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने बावत्।

1. आवेदक का नाम (हिंदी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्मतिथि (अंकों में) :-
- (शब्दों में) :-
4. लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :-
5. जाति/वर्ग (अनु. जन.जाति/अनु.जाति./अन्य पिछड़ा वर्ग) :-
 (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
6. छ.ग. मूल निवासी का प्रमाण पत्र :-
 (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. स्थाई पता :-

 जिला पिन.....
8. वर्तमान पता :-

 जिला पिन.....
9. आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी :-
 (पालक/अभिभावक की आय सीमा 2.50 लाख से अधिक न हो)
 (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. मोबाईल नंबर :-
11. आधार कार्ड (संलग्न करें) :-

//2//

12. कक्षा 12वीं की अंकसूची (संलग्न करें) :- उत्तीर्ण वर्ष 2026 पूर्णांक.....प्राप्तांक.....

13. वर्ष 2026-27 में प्रवेश प्राप्त किये गये संस्था का नाम :-

14. वर्ष 2026-27 में चयनित पाठ्यक्रम (संलग्न करें) :-

15. संस्थान में प्रवेश हेतु विद्यार्थी द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण :-

वास्तविक व्यय देयक की छायाप्रति संलग्न करें

क्र.	मद	राशि (रूपये में)
1.	घर से प्रवेश हेतु संस्थान तक जाने हेतु व्यय राशि	
2.	रास्ते का व्यय	
3.	गणवेश आदि का व्यय	
4.	दवा/चिकित्सा आदि हेतु	
5.	तात्कालिक फीस (संस्थान से प्राप्त पत्र आदि)	
6.	अन्य जो आवश्यक मद हो	
	योग	
(राशि रूपये		मात्र)

आवेदक के हस्ताक्षर

--: विद्यार्थी का घोषणा-पत्र :-

मैं आत्मज
 संस्थान.....
 के पाठ्यक्रम (ब्रांच) वर्ष 2026-27 में
 प्रवेश प्राप्त कर लिया हूँ। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है तथा गलत
 पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा प्रदत्त राशि वसूलनीय
 होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

: : विद्यार्थी के अध्ययनरत् संस्था द्वारा सत्यापन : :

श्री/सुश्री आत्मज श्री.....
 संस्था में पाठ्यक्रम..... में
 वर्ष 2026-27 में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत् है। इनके द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क
 एवं अन्य शुल्क राशि रुपये(शब्दों में.....
में जमा किया गया है, विवरण संलग्न है। इनका आचरण
 एवं व्यवहार संतोषजनक है।

हस्ताक्षर

प्रभारी स्टूडेंट वेलफेयर

सत्यापनकर्ता का नाम

पदनाम.....

मोबाईल नम्बर.....

पदमुद्रा.....

—: : सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा प्रमाणीकरण : :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी

आत्मज श्री/श्रीमती.....संस्थान

के पाठ्यक्रम (ब्रांच).....वर्ष 2026-27 में प्रवेशित होकर अध्ययनरत् है। मेरे द्वारा विद्यार्थी के उपरोक्त संस्था में अध्ययनरत् एवं व्यय किये गये राशि की जानकारी का मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2023 में दिये गये निर्देशानुसार परीक्षण पश्चात् सत्यापन किया गया है। विद्यार्थी को नियमावली अंतर्गत राशि रुपये

.....(रुपये शब्दों में.....

.....) का पात्रता रखता है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित
जिला

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /08/2023

110 AUG 2023

कमांक/एफ-16-10/2023/25-2: राज्य शासन एतद्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 की स्वीकृति प्रदान करता है, जो संलग्न है।

2- इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट कमांक /एफ-2023-25-00328/सी-3 दिनांक 04.08.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी.डी.सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
अनुसूचित जाति विकास विभाग

पृ.कमांक /एफ-16-10/2023/25-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /08/2023
प्रतिलिपि:-

110 AUG 2023

- 1- माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 2- विशेष सहायक, मान0 मंत्री, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास विभाग, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
 - 3- अवर सचिव, मुख्य सचिव सचिवालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 4- सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 5- समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 6- महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
 - 7- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0
 - 8- संभागीय आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/दुर्ग
 - 9- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के यू.ओ.कमांक 272 दिनांक 30-01-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - 10- समस्त कलेक्टर छ0ग0
 - 11- समस्त सहायक आयुक्त, छ0ग0
 - 12- आर्डर बुक.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डी.डी.सिंह)

छत्तीसगढ़ शासन
अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2023

1. **पृष्ठभूमि:-** छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे-IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), IIM (भारतीय प्रबंध संस्थान), NLU (भारतीय विधि संस्थान) जैसे संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियों यथा-यात्रा व्यय, कपड़े, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, दवाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सहायता हेतु राशि का प्रावधान किसी भी योजना में नहीं है। अतः ऐसे विद्यार्थियों को इन उच्च स्तरीय संस्थानों में प्रवेश का मार्ग सुगम करने हेतु तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की जा रही है।
2. **इस योजना अंतर्गत शामिल संस्थान:-** इस योजना के अंतर्गत भारतवर्ष में स्थित निम्नांकित के संस्थान शामिल होंगे:-
 - i. IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)
 - ii. AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)
 - iii. IIM (भारतीय प्रबंध संस्थान)
 - iv. NLU (भारतीय विधि संस्थान)
 - v. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हो।
 - vi. NEET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से MBBS पाठ्यक्रम हेतु शासकीय संस्थान
 - vii. JEE प्रवेश परीक्षा के माध्यम से B.Tech पाठ्यक्रम हेतु शासकीय NIT/IIIT संस्थान
3. **छात्रवृत्ति की राशि:-** यह राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जायेगी। यह राशि अधिकतम 50,000/- रुपये तक वार्षिक हो सकेगी। विद्यार्थी का संस्थान में प्रवेश उपरांत समस्त वैध व्यय का देयक प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरुपयोग करने/गलत जानकारी देने पर उक्त राशि विद्यार्थी एवं पालक से वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

4. पात्रता— योजना अंतर्गत छात्र हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं—
1. विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।
 2. विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिये।
 3. विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये।
5. आय-सीमा— विद्यार्थी के पालक की आय का आर्थिक आधार निम्नानुसार होगा —
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये।
 2. शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
6. चयन की प्रक्रिया— उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदनों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थानों के महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जायेगी। समान प्रकृति के संस्थानों हेतु छात्रवृत्ति हेतु चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता देते हुए चयन की कार्यवाही की जायेगी तथा समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- उपरोक्त मेरिट पश्चात् नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इसी क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की जायेगी।
7. समिति की संरचना— इस योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निम्नांकित समिति के द्वारा किया जायेगा —
1. आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग — अध्यक्ष
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग—सदस्य
 3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग—सदस्य
 4. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग — सदस्य
 5. वित्त अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग — सदस्य
 6. योजना प्रभारी अधिकारी — सदस्य सचिव
- उपरोक्त समिति का दायित्व होगा कि योजना के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्रता का निर्धारण कर बजट सीमा के अंतर्गत अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी।

8.

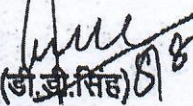
राशि स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया:- समिति द्वारा चयन सूची के आधार पर जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी होगा उस जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को राशि आवंटित की जायेगी। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं चयनित विद्यार्थी के साथ संयुक्त बैंक खाता खोला जायेगा एवं उसमें राशि हस्तांतरित की जायेगी। विद्यार्थी द्वारा संस्थान में प्रवेश लेने के पूर्व मंदवार राशि की आवश्यकता सहायक आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी। इसके आधार पर सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यक राशि का परीक्षण कर तत्काल विद्यार्थी को सहायता उपलब्ध करायेगे एवं चयनित संस्थान में प्रवेश पश्चात् विद्यार्थी विभिन्न खर्चों का विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। यदि चयनित विद्यार्थी द्वारा स्वयं का व्यय कर चयनित संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो तो विद्यार्थी द्वारा खर्चों का विवरण देयक सहित प्रस्तुत करने पर सहायक आयुक्त द्वारा परीक्षण उपरांत उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विद्यार्थी को की जायेगी।

9.

आवेदन की प्रक्रिया:- इस योजनांतर्गत दर्शित संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थान में प्रवेश की सूचना प्राप्त होते ही विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर एवं उससे संबंधित अभिलेख संलग्न कर 15 दिवस के अंदर आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रस्तुत करना होगा।

10. वित्त पोषण एवं बजट :-योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत मांग संख्या 41/64/66 मुख्यशीर्ष 2202 योजना क्रमांक 6682 पर विकलनीय होगा।

11. विवाद का निराकरण :- विवाद अथवा विवाद की स्थिति निर्मित होने पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।


(डी. जे. सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग